RAJYA SABHA

Friday the 10th July 1998/19 Asadha, 1920 (Saka)

The House met at Eleven of the clock Mr. Chairman *in the Chair*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Running of Fake Universitie in the Country

*341.SHRIMATI KAMLA SINHA:
SHRI JANARDAN YADAV:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the UGC has recently identified a number of fake universities functioning in the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) in what manner Government propose to deal with the Degrees/Diplomas given to the students by these universities; and

(d) what action is contemplated by Government against the universities functioning in violation of the UGC Act?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI JOSHI): (a) to (d) According to the information furnished by the University Grants Commission, there are 18 self-styled and fake universities which have come to their notice. A list of such fake universities is enclosed is Statement-I (*See* below. Besides these, the Association of Indian Universities have informed that there are 10 more such fake universities in the country Statement-II (*See* below).

Section 22 of the UGC Act 1956 stipulates that the right of conferring or granting degree shall be exercised only by a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act or an Institution deemed to-be university or an Institution specially empowered by an Act of Parliament to confer or grant degrees. Accordingly, an Institution not established as a university or incorporated under an Act of Parliament/State Legislature or granted deemed university status or an Institution specially empowered to award degree, is illegal ab initio and, therefore, is not empowered to award any degree. The operation of a fake university is punishable under Section 24 of the Act. Action taken under this provision against some fake universities is in various stages in various Courts of Law in the country.

The Parliamentary Standing Committee on HRD have suggested in 1995 several measures for better implementation of measures to be taken against fake universities. To consider these suggestions in depth, a UGC Amendment Bill pending in Rajya Sabha was with-drawn. These are under the consideration of Government alongwith other proposals for a comprehensive revision of the UGC Act, 1956.

Statement—I

1. Maithill University/Vishwavidyalaya, Darbhanga, Bihar.
2. Mahila Gram Vidyapith/Vishwavidyalaya (Women's University), Prayag, Allahabad (U.P.)
3. Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi (U.P.)/Jagat Puri, Delhi.
4. Commercial University Ltd., Darya Ganj, Delhi.
5. Indian Education Council of U.P., Lucknow (U.P.).
6. Gandhi Hindi Vidyapith, Prayag, Allahabad (U.P.).
7. National University of Electro Complex Homeopathy, Kanpur.
8. Netaji Subhash Chandra Bose University (Open University) Achaltal, Aligarh (U.P.)
9. D.D.B. Sanskrit University, Putur, Trichi, Tamil Nadu.

10. Bharatiya Shiksha Parishad (U.P.) Open Vishwavidyalaya, Lucknow, (U.P.).
11. St. John's University, Kishanattam, Kerala.
12. National University, Nagpur.
13. United Nations University, Delhi.
14. Vocational University, Delhi.
15. Uttar Pradesh Vishwavidyalaya, Kosi Kalan, Mathura (U.P.).
16. Maharana Pratap Shiksha Niketan Vishwavidyalaya, Pratapgarh, (U.P.).
17. Raja Arabic University, Nagpur.
18. Urdu University, Motia Park, Bhopal.

Statement-II

1. Akhil Bhartiya Gandhi Nisargopchar Vidyapeeth, Vijaynagar, Nanded Housing Society, Nanded- 431602.
2. Bible University, Ambur (North Arcot).
3. Eastern Orthodox University, Ambur (North Arcot).
4. Globe University of Science, Kumakonem, Tamil Nadu.
5. Mahatma Gandhi Nisargopchar Vidyapeeth Gandhi Bhavan, Kothrud, Pune-411029.
6. Self-Culture University, Kichanttam, Kerala.
7. St. Ravidas Vishwavidyalaya, Mumrajpur, Bulendshar, U.P.
8. Testator Research University, Bodinayakanur, Tamil Nadu.
9. University of Newjerusalm, Kuthuperabma, Cannore, Kerala.
10. World Social Work University, Perguzhi, Kerala.

श्रीमती कमला सिन्हा: सर, दुर्भाग्य तो यह है कि हम प्रश्न पूछते है, सरकार सभापटल पर उत्तर रख देती है, बातें वहीं खत्म हो जाती हैं। मेरा प्रश्न अगर आप देखेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि शिक्षा के मामले में केवल स्कूली शिक्षा में ही नहीं, उच्च शिक्षा में भी कालेज स्तर की शिक्षा में भी इस देश में एक व्यापार, अनैतिक धंधा चल रहा है। तो मेरा पहला प्रश्न सरकार से यह होगा कि क्या सरकार को जानकारी है कि इस तरह के विश्वविद्यालय निजी स्तर पर अनैतिक तरीके से, इल्लीगल तरीके से खोले जा चुके है, चल रहे है? सरकार के जवाब के हिसाब से केवल उत्तर प्रदेश में 12 विश्वविद्यालय है और बाकी जगहों पर भी तरह-तरह के विश्वविद्यालय हैं। इनके नाम अगर देखे जाएं तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार की नाक के नीचे है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, दिल्ली, वोकेश्नल यूनिवर्सिटी, दिल्ली, कमर्शियल यूनिवर्सिटी, दरेया गंज, दिल्ली, आदि है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इस तरह की जो इल्लीगल यूनिवर्सिटीज़ चल रही है बरसों से और जो विद्यार्थियों के जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके ऊपर सरकार कौन सी कार्रवाई करने जा रही है? अब सरकार कहेगी कि यूजीसी का हमने कानून बना दिया, उसके कानून के तहत, प्रोविज़न के तहत अनेक बातें है — सज़ा हो सकती है एक लाख रूपए तक की फार दि वायंलेशन आफ दि यूजीसी एक्ट एंड यूजीसी नॉर्म्स। यह तो अपनी जगह पर है। सरकार शायद यह भी कहेगी कि कुछ लोगों के खिलाफ तो केसिस भी चल रहे हैं। लेकिन केसिस चल रहे हैं, नॉर्म्स भी है यूजीसी के, उनका वॉयलेशन भी हुआ है और यह यूनिवर्सिटीज़ धड़ल्ले से चल भी रही है। तो मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि सरकार इस विषय में कौन सी स्ट्रेंजेंट कार्रवाई करने जा रही है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले 30 विश्वविद्यालय ऐसे थे जो जाली चल रहे थे उन पर कुछ कार्रवाई की गई और वे घटकर 18 रह गए, यूजीसी के मुताबिक 10 नए विश्वविद्यालय जाली चल रहे है, जिसकी सूचना हमें एसोसिएशन आफ यूनिवर्सिटीज़ से प्राप्त हुई और इस प्रकार फिर से उनकी संख्या 28 हो गई। इसमें जो कार्रवाई की गई है, उनमें से अधिकांश के मामले कोर्ट्स में पड़े हुए हैं।

श्रीमती कमला सिन्हा: आप उसे सभापटल पर रख दीजिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी: आपका आदेश होगा तो सारे विवरण को सभापटल पर रखवा दिया जाएगा। इस प्रकार का एक विश्वविद्यालय है मैथिली युनिवर्सिटी दरभंगा। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि यह विश्वविद्यालय नहीं है। सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत किसी को 'विश्वविद्यालय' नाम रखने की इज़ाज़त नहीं है लेकिन यह मैथिली विश्वविद्यालय अभी तक अपना नाम यही रखे हुए है। यू०जी०सी० ऐक्ट की धारा 23 और 24 के अनुसार इस पर केवल इतनी कार्यवाही हो सकती है कि जब कोर्ट द्वारा यह बता दिया जाए कि यह विश्वविद्यालय जाली है तो उस पर केवल हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए हजार रुपए जुर्माना देते जाइए जाली बने रहिए। जब हमारे सामने ये बातें आई तो इन्हें देखते हुए हमने यू०जी०सी० ऐक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए एक टास्क-फोर्स बनाई है जिसके चेयरमैन प्रो० अमरीक सिंह है। इसमें और भी सदस्य है जैसे जी०डी० शर्मा, डी०आर० मीना और श्री एम०एम० झा इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। हम कानून में पहले संशोधन करेंगे जिसकी तरफ सम्माननीय सदस्या ने ध्यान दिलाया है कि स्ट्रिंजेंट ऐक्शन लिया जाए। इसके लिए जो सिर्फ जुमाने की व्यवस्था है, उसको बदलना पड़ेगा। इसको लागू करने का काम राज्य सरकारों का है। कोर्ट ने अभी यह डायरेक्शन दी है रजिस्ट्रार आॅफ कंपनीज़ ऐंड सोसायटीज़ को कि कोई भी रजिस्ट्रेशन जिसमें "विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग होता है, वह बिना यू०जी०सी० को रेफर किए न किया जाए। यह व्यवस्था तो राज्य सरकारों को ही करनी है। इसके लिए मैंने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि आप यह सुनिश्चित करें कि किसी कोआॅपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रेशन के समय अगर उसमें "विश्वविद्यालय" शब्द का उल्लेख हो तो उसको तब तक रजिस्टर न किया जाए, जब तक कि यू०जी०सी० उसे क्लियर न कर दे और हमने राज्य सरकारों को यह भी कहा है कि ये-ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिनके बारे में आपको संज्ञान कराया जाता है, आप इनके खिलाफ कार्यवाही करें।

महोदय, इसके अलावा यह भी हिदायत दी गई है कि ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम टेलीविजन से और आकाशवाणी से प्रसारित किए जाएं और विशेषकर उस समय प्रसारित किए जाएं जब कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रसारित होते हैं ताकि छात्रों को पता लगे कि इन विश्वविद्यालयों की डिग्री का कोई औचित्य नहीं है। महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा भी पता लगा है कि दिल्ली पुलिस में भी एक अधिकारी को जाली डिग्री मिली हुई है, उसका पता लगाया जा रहा है। हमारे यहां केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भी एक अध्यापक को जाली डिग्री के आधार पर नौकरी दी गई है। उस पर हम ऐक्शन ले रहे हैं। तो यह समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है। पिछले एक-दो महीने में जो कार्यवाही की जा सकती थी, वह मैंने आपके सामने रख दी है। यदि आपके इस बारे में कोई सुझाव हों कि कानून में और क्या परिवर्तन करना चाहिए तो उन्हें आप कमेटी को भेजिए। सरकार को भेजिए, हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। महोदय, सारा देश और सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि इस बारे में कोई कड़ी से कड़ी कार्यवाही जरूर की जानी चाहिए और हम करेंगे।

श्रीमती कमला सिन्हा: सभापति महोदय, मंत्री जी ने बड़ी सफाई से बातों को कहा है क्योंकि इसमें बातें छिपाने की गुंजाइश नहीं थी।

डा० मुरली मनोहर जोशी: ये मंत्री और सरकार बातें छिपाते नहीं है। वे ज़माने चले गए।

श्रीमती कमला सिन्हा: सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम सब लोग जानते है कि जब किसी काम को टालना होता है, किसी विषय को टालना होता है तो उसके ऊपर एक कमेटी बना दी जाती है या टास्क-फोर्स बना दी जाती है और टास्क-फोर्स इंक्वायरी कर रही है, कमेटी इंक्वायरी कर रही है, ऐसा कहा जाता है। फिर उसकी रिपोर्ट आती है, सदन में पेश होती है, सरकार उस पर विचार करती है लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हो पाती है। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि टास्क-फोर्स का काम अपनी जगह पर है लेकिन सरकार को मालूम है कि 18 विश्वविद्यालय नाज़ायत तरीके से चल रहे हैं, जो अपने को विश्वविद्यालय कहते हैं लेकिन जो सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत रजिस्टर होकर काम कर रहे है और नाज़ायज तरीके से बच्चों की जिंदगी और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि नए और 10 बढ़ गए हैं। यानी 30 पहले थे, उसके बाद कुछ कम हुए और फिर अब 28 हो गए है। यानी वही ढाक के तीन पात। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार एक कठोर कानून इस बारे में लाना चाहती है?

अब मैं जानना चाहती हूं कि सरकार क्या एक कठोर कानून इस विषय में लाना चाहती है और अगर लाना चाहती है सदन में तो कब तक लाना चाहती है? सरकार कब तक लाना चाहती है इसका टाईम फ्रेम भी बतादें कि कितने दिन के अंदर करना चाहती है और इस कानून के जरिए क्या यह अनैतिक धंधा बंद कराने की सरकार की मंशा है?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि यह टास्क फोर्स कानून बदलने के लिए ही बनाई गई है और उसको बताया गया है कि कानून में ऐसे संशोधन करें जिससे इस प्रकार के विश्व विद्यालयों का चलना असंभव हो जाए। लेकिन सदन यह तो स्वीकार करेगा कि हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें लॉ मिनिस्ट्री का सहयोग होना जरूरी है, उनकी राय जरूरी है। कानून बनाने के लिए शिक्षाविद्, लॉ मिनिस्ट्री और यू०जी०सी० के पुराने सैक्रेट्री सबको रखा गया है। इसीलिए रखा गया है कि वह कानून बनाएं। यह टास्क फोर्स कोई विश्व विद्यालय चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है इसकी जानकारी करने के लिए नहीं है परन्तु यह कानून किस तरह से कड़े से कड़ा बनाया जाए उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए इसके लिए है। दिक्कत आज इम्प्लीमेंटेशन की आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह विश्व विद्यालय अपने नाम के आगे विश्व विद्यालय नहीं लिख सकते लेकिन विश्व विद्यालय लिख रहे हैं। अब इस पर कार्रवाई तो राज्य सरकारों को ही करनी पड़ेगी। राज्य सरकार कहती है कि यह जो यू०जी०सी० का कानून है इसमें केवल हजार रुपए जुर्माने की बात है, यानी आप हजार रुपए साल देते रहिए और जाली बने रहिए। उस कानून को बदलने के लिए ही यह किया गया है कि वह जल्दी से जल्दी कानून को बदलकर लाएं। एच०आर०डी० की जो हमारी स्थाई समिति है उससे भी सलाह होगी क्योंकि बिना उसकी राय के कानून नहीं बन सकता। इसलिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया है और उसमें जो सबसे अल्प अवधि की प्रक्रिया है हम उसी को लेंगे।

श्रीमती कमला सिन्हा: एच०आर०डी० की स्थाई समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। उसने भी रिकमेंड किया है कि वह कानून बनना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। तो मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार सीधा-सीधा जवाब क्यों नहीं देती है कि कानून कब तक बनाएगी, कब तक इस सदन में, उस सदन में कानून लाएगी, यह बता दें? When this Act is going to be brought and when this Act is going to be implemented?

डा० मुरली मनोहर जोशी: जैसे ही इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट आ जाएगी हम कानून बनाएंगे।

श्री जनार्दन यादव: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 28 फर्जी विश्व विद्यालय हैं इसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज कितने हैं और उन कॉलेजों से जो लड़के पास हुए हैं, जिनको डिग्री मिली हैं, क्या उन डिग्रियों को वर्तमान सरकार ने या पिछली सरकार ने मान्यता दी है? एक हजार रुपया जुर्माना देने से तो वह विश्व विद्यालय चलेगा। लेकिन ऐसे विश्व विद्यालयों से जो डिग्री आज तक मिली हैं और उन डिग्रियों के आधार पर जो नौकरी में चले गए होंगे उनके बारे में माननीय मंत्री जी क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

डा० मुरली मनोहर जोशी: जिससे यह डिग्री मिला है और वहां यह पता लगता है, क्योंकि हम तो केवल सभी संस्थाओं को यह सूचित करते हैं कि यह विश्व विद्यालय जाली हैं और उनकी अधिक से अधिक सूचना प्रसारित हो इसलिए टेलीविजन और आकाशवाणी दोनों को यह सलाह दी गई है, उनसे निवेदन किया गया है कि इनके नाम बार-बार प्रसारित किए जाएं और और उस प्रसारण में यह भी कहा जाए कि इस डिग्री के आधार पर कोई नौकरी न ले और अगर किसी को इस डिग्री के आधार पर नौकरी में लिया गया है तो उसकी नौकरी निरस्त कर दी जाए। मैंने बताया कि जैसा केन्द्रीय विद्यालय संगठन में हमें पता लगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक इसका सवाल है, इन विश्व विद्यालयों के बारे में अभी सरकार के पास कोई जानकारी इनजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज की तो नहीं आई है। तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि इन विश्व विद्यालयों से प्राप्त डिग्रियां जो चल रही है वह तो कानून की खामी के कारण चल रही है और कानून की खामी हम ठीक करेंगे और उसे दुरूस्त करेंगे और जल्दी से जल्दी इन जाली विश्व विद्यालयों का चलना हम बंद करेंगे। यह अनेक वर्षों से चल रहा है, हाल ही में नहीं आए हैं। हमारे सामने जैसे ही एच०आर०डी० की रिपोर्ट आई कार्रवाई शुरू की और निश्चित रूप से यह टास्क फोर्स बहुत प्रमाणिक ढंग से काम करेगा और प्रोफेसर अमरीक सिंह के बारे में सारा सदन जानता है, सारा देश जानता है कि वह शिक्षा के मामले में, यू०जी०सी० के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं और सब मामलों में बहुत संजीदा राय रखते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि उनके द्वारा बनाया गया कानून बहुत इफेक्टिव होगा।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, the fact is, fake universities are indeed a very reprehensible thing because they are playing with the future of young peoples' lives, misleading them and leading them into a great difficulty. I would like to ask the hon. Minister a question arising out of this. The idea that a 'university' has got to be a State's monopoly, that only by an Act of Parliament

or only by an Act of State legislature can a university be set up is to my mind, an outmoded idea. Sir, the educational technology is now developing very rapidly. There is distance education. There is satellite education. There was a proposal for private universities. A Bill was drafted. If I understand correctly, there was a Select Committee. Shri P. Upendra, who was then a Member of this House, was the Chairman of that Select Committee. I gave evidence before it. The idea was that since there were a lot of private institutions, a lot of non-official institutions, which had the capacity, which had the technology to provide top class education, why this old idea of State monopoly should continue. May I ask the hon. Minister what has become of that Private Universities Bill? When is it to be brought before the Parliament? Will this Government fully support it? Fake universities come up because of the tremendous desire of young people to learn. If there are other opportunities available, why should they not be allowed to avail themselves of those opportunities? Why should they be depreived of that?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, a draft of the Bill is there and it is under active consideration of the Government.

DR. KARAN SINGH: Sir, the Select Committee has submitted its report. Now, is that Bill coming before this House? Is it going to be introduced in this session or the next session? This is a matter of some urgency because we are dealing with young people, whose whole lives are before them and whose entire career could be destroyed by these sort of reprehensible activities.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, there are several aspects of this Bill and we are taking into account all the aspects so that when the Bill is placed before the House it results in a very fruitful Act and it serves the purpose very effectively. So, we are taking adequate steps and I am sure that the House will be informed about this Bill very soon.

DR. RAJA RAMANNA: Mr. Chairman, Sir, I have noticed that in these fake colleges and fake universities the *modus operandi* is, first start a college, get a lot of people admitted and then try to get recognition. At this stage when the students are already suffering, and most of them are foreign students, you cannot do much. The students say that they have paid a lot of money. They have come from far off countries and joined this college. And now you want to close the college. What should they do? It is very important that you should start dealing with fake colleges at an early stage and not when things have reached a stage where you cannot do anything. There are many colleges, like the dental colleges, in my own city of Bangalore, which are constantly doing this. The money accepted from the candidates goes in to several lakhs of rupees, and then the man runs away. So, may I suggest to the hon. Minister that there should be almost a police force for watching these institutions, and striking at the very roots in the beginning when they start, rather than at a stage when the whole thing becomes too late and things go to court and so on. Thank you.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, this is a suggestion which will be taken into consideration without fail. But, we are now strengthening the accreditation system. Even today it is not that only the so-called fake univertsities and fake colleges are not accredited, but many of the old universities also have not been accredited. The accreditation system is not strong enough. There is an Accreditation Committee and an Accreditation Council, which are without any proper infrastructure. So, we have now decided to strengthen it and we are taking measures in consultation with the UGC so that accreditation becomes very meaningful and only accredited colleges and universities run in this country. If anybody takes admission in such institutions which are not accredited, it will be at his own risk.

We will certainly take into consideration this suggestion. We will take action against those fake colleges which are running even today and also those which have been closed, if they have been given permission by the UGC or the AICTE. If they are running without their permission, then we are helpless. But, if they have been given permission by these bodies, then certainly we will look into this matter.

DR. M. N. DAS: Sir, while the UGC at long last has been able to detect and identify some of the fake universities in the country, I would like to know whether the UGC and the Ministry of HRD are aware of the fact that there are some genuine and reasonable demands from some regions of some States for establishment of new universities, and, if so, what policy has been formulated on a definite basis so that universities could be opened where the demands are genuine.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: This is between the State Government and the UGC. If the State Government has the necessary funds and requirements, and satisfies the norms of the UGC, then there is no bar from the Ministry to any State opening a university.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जिन-जिन यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया है इसके अलावा आयुर्वेदिक की, यूनानी की, होम्योपैथी की, स्पोर्टर्स की, फिजिकल एजुकेशन के नाम पर देश भर में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज और कालेज चल रहे हैं। उनके प्रतिदिन अखबारों में इश्तहार दिए जाते हैं और लाखों आदमियों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मंत्री महोदय ने इस बारे में जो चिन्ता प्रकट की है वह प्रशंसनीय है। परन्तु केवल एक हजार रुपये का जो जुर्माना है उसको बढ़ाकर एक लाख या 10 लाख करने में या सजा का प्रावधान करने में क्या किसी कमेटी की जरूरत है? अगर उनको कड़ी सजा देनी है तो कड़ी सजा तो कोई भी सीधे तौर पर कर सकता है। एक हजार रुपये के बजाय उसका जुर्माना इतना होगा या इतनी सजा होगी क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे? कमेटी की रिपोर्ट पता नहीं कब आएगी? क्या अखबारों में इसका इश्तहार देने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाएगा?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, जहां तक चिकित्सा के क्षेत्र के विश्वविद्यालयों का सवाल है तो चिकित्सा का क्षेत्र हमारे मंत्रालय के अधीन नहीं है। उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के पास जो जानकारी होगी उसके ऊपर वहां से कार्रवाई की जाएगी। अगर स्पोर्ट्स के बारे में किसी ने जाली विश्वविद्यालय की रचना की है तो इसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है और सूचना मिलने पर हम जरूर उनके खिलाफ कड़े कदम उठायेंगे। केवल हजार रुपये से, लाख रुपये से या 50 हजार रुपये या दो लाख रुपये का जुर्माना दे देना, इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसमें कानून की कई डाइमेंशन्स हैं। इसमें राज्य सरकारों से भी सलाह लेनी पड़ेगी, उनको अपने रजिस्ट्रेशन के कानून में भी तब्दीली करनी पड़ेगी। उस कानून के अन्तर्गत क्या-क्या किया जा सकता है इस पर भी हम उन्हें सलाह देंगे क्योंकि इसको इम्पलीमेंट करना है, यह सब उनके हाथ में रहेगा। प्रोसीक्यूशन जिस-जिस लेवल पर करना है वह राज्य सरकारों के माध्यम से ही होगा। इसलिए कानून में ऐसी व्यवस्थाएं करनी होंगी। केवल जुर्माने का ही सवाल न हो बल्कि सजा दी जाए और वह किस तरह से दी जा सकती है, उसमें कोई भी लूपहोल न रहे, उसमें कोई भी क्षेत्र ऐसा न बचे जिसका लाभ उठाकर जाली विश्वविद्यालय चल सके। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि डा॰ अमरीक सिंह इस मामले में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, उनकी बनाई हुई कमेटी से आप यह आशा करेंगे कि वह बहुत शीघ्रता से इस काम को करेंगे। आप भरोसा रखिए हम जल्दी से जल्दी इस मामले में कदम उठायेंगे। हमने उनको केवल 30 दिन का ही समय दिया है और आप यह समझें कि जितनी जल्दी हम इसको कर सकते हैं, वह करेंगे।

"Underground Mineral Resources in Forests

*342. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are large amounts of underground mineral resources in areas which are forested;

(b) whether State Governments are putting pressure to destory forest area for development projects; and

(c) what action Government are taking to protect the limited area of forests from such developmental activity?